

## विभागीय माहिती संचिता

### बांधणी विभाग

(बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपकर)

(माहितीचा अधिकार अधिनियम २००४ च्या कलम (४) (१)ब नुसार  
१६ विभिन्न बाबीची माहिती)

#### ४.ब.१ संघटना, कामे आणि कर्तव्ये संबंधी तपशील

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| संघटनेचे नांव    | : | बांधणी विभाग   |
| पत्ता            | : | दुसरा मजला, शिवडी संग्राही उपकेंद्र,<br>ऑनेक्स इमारत,<br>प्रबोधनकार ठाकरे उद्यानाजवळ,<br>शिवडी, मुंबई - ४०० ०९४. |
| दुरध्वनी क्रमांक | : | ०२२- २४९६२८७९  |

#### ९.१ विभागाची कामे व कर्तव्ये

- ९.१.१ सदर विभाग प्रशासनाने सम्मत केलेल्या पुढील योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी जबाबदार राहील.
१. नवीन ३३ के.व्ही./१९० के.व्ही. संग्राही उपकेंद्रामध्ये उपकरणांची मांडणी करणे.
२. जुन्या ३३ के.व्ही./१९० के.व्ही. संग्राही उपकेंद्रामध्ये उपकरणे वाढविणे.
३. अतिउच्चदाब व उच्चदाबाचे तारखंड टाकणे.

- ९.१.२ सदर विभाग पुढील कामे करण्यासुधा जबाबदार राहील.

१. प्रवर्तन व परिरक्षण विभागांना जास्त लांबीचे अतिउच्च दाबाचे तारखंड टाकून व नादुरुस्त उपकरणे बदलून देखभाल करण्यास सहाय्य करणे.
२. विहित नमुन्यातील निविदांची शिफारस व साधनसामुद्रीचे विकत घेण्याआधी निरिक्षण करणे.

#### **४. ब.२      विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.**

९.९ सदर विभाग, विभागीय अभियंता (बांधणी) यांच्या देखरेख व अधिपत्याखाली काम करील जे उपमुख्य अभियंता (कार्ये)/मुख्य अभियंता (परिरक्षण)/सहाय्यक महाव्यवस्थापक (वि.पु.) यांच्या अधिपत्याखाली काम करतील.

९.९.१ कामाच्या सोयीकरीता सदर विभागाचे पुढीलप्रमाणे दोन उपविभाग कार्यरत आहेत.

१. ३३ के.व्ही./१९० के.व्ही. संग्राही उपकेंद्रे.
२. अतिउच्चदाबाचे तारखंड टाकणे.

९.९.२. बांधणी विभागामध्ये विभागीय अभियंता, दोन अधिकारी, तीन सहाय्यक अभियंते, आठ उपअभियंते आणि इतर अधिकारी व कर्मचा-यांचा समावेश असेल.

९.९.३ विभागाच्या कार्यालयीन कामाच्या वेळा खालीलप्रमाणे असतील.

| आठवड्याचे दिवस                                       | कामाचे तास  | जेवणाची वेळ              |
|--|---|--------------------------|
| बाह्य चौकीच्या सोमवार ते<br>कामाचे तास               | ०८.०० वा.<br>शनिवार                                 | १२.३० वा.<br>ते१३.३० वा. |
| कार्यालयीन सोमवार ते<br>कामाचे तास                   | ०९.०० वा.<br>शुक्रवार                               | १३.०० वा.<br>ते१३.४९ वा. |
| अभिलेखकाचे कामाचे तास - सोमवार ते शुक्रवार<br>शनिवार | - ०८.०० वा. ते१७.०० वा.<br>- ०८.०० वा. ते १३.३० वा. |                          |

## **१. विभागीय अभियंता (बांधणी) यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : ए-३**

विभागीय अभियंता हे बांधणी विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने उपमुख्य अभियंता कार्य/मुख्य अभियंता (कार्य)/ उपमहाव्यवस्थापक (वि.पु.) यांच्या अधिपत्त्याखाली काम करतील. त्यांना विभागातर्फे कार्यरत असलेल्या विविध प्रकल्पांना साधनसामुद्री व मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे अधिकार असतील. त्यांच्या अधिपत्त्याखालील अधिका-यांची हजेरी प्रमाणित करणे तसेच अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे त्यांना अधिकार असतील. तसेच सांधा जोडारीच्या विविध पदांच्या निवड समितीचे ते उपाध्यक्ष असतील.

विभागीय अभियंता पुढील कामासाठी सुध्दा जबाबदार असतील.

१. विहीत योजना व इतर कामांची विभागातर्फे सुरक्षीत अमंलबजावणी करणे.
२. वार्षिक प्रशासकीय अहवाल, कर्मचारी सुची, अंदाजपत्रकीय कामे इ. अहवाल तयार करणे.
३. उपलब्ध योजनांवर आधारीत विभागाच्या कामाची ध्येय धोरणे ठरविणे.
४. मुंबई शहरातील इतर सार्वजनिक व खाजगी उपक्रमाशी ताळमेळ ठेवणे.
५. विभागाच्या कामासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करणे.

## **२.१. अधिक्षक १ यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : ए-४**

२.१.१ अधिक्षक १ हे ३३ केव्ही / ११० केव्ही संग्राही उपकेंद्र विभागाचे मुख्य असतील व विभागीय अभियंत्याच्या अधिपत्त्याखाली काम करतील. उपविभागाच्या योजनासाठी साधनसामुद्री व मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, त्यांच्या अधिपत्त्याखाली अधिका-यांची हजेरी प्रमाणित करणे तसेच अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना असतील.

- २.१.२ अधिक्षक हे पुढील योजना / कामांची अमंलबजावणी करतील.
१. नवीन ३३ केव्ही / ११० केव्ही संग्राही केंद्रे कार्यान्वित करणे.
  २. जुन्या संग्राही उपकेंद्रामध्ये फेरफार करणे.
  ३. विभागीय अभियंत्यांना नियोजित कार्यपुर्तीसाठी मदत करणे.
  ४. महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाला सादर करावयाच्या प्रकल्पांचा अहवाल तयार करणे.

## २.२ सहाय्यक अभियंता - ३ यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : ए-५

२.२.१ सहाय्यक अभियंता - ३ हे अतिउच्चदाबाचे तारखंड टाकणे या उपविभागाचे प्रमुख असतील. उपविभागाच्या योजनासाठी साधनसामुग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, त्यांच्या अधिपत्त्याखाली अधिका-यांची हजेरी प्रमाणित करणे तसेच अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना असतील.

२.२.२ सहाय्यक अभियंता - ३ हे पुढील योजना / कामांची अमंलबजावणी करतील.

१. अतिउच्चदाबाचे तारखंड टाकणे.
२. विभागीय अभियंत्यांना नियोजित कार्यपुर्तीसाठी मदत करणे.
३. प्रवर्तन व परिश्का विभागांना अतिउच्चदाबांच्या तारखंड दुरुस्तीसाठी मदत करणे.

## २.३ सहाय्यक अभियंता - १ व २ यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : ए-५

२.३.१ सहाय्यक अभियंता - १ व २ हे त्यांना नेमून दिलेल्या ३३ केव्ही / ११० केव्ही संग्राही केंद्र या उपविभागाचे प्रमुख असतील. उपविभागाच्या योजनासाठी साधनसामुग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, त्यांच्या अधिपत्त्याखाली अधिका-यांची हजेरी प्रमाणित करणे तसेच अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना असतील.

२.३.२ सहाय्यक अभियंता - १ व २ हे पुढील योजना / कामांची अमंलबजावणी करतील.

१. नवीन ३३ केव्ही / ११० केव्ही संग्राही उपकेंद्रे कार्यान्वित करणे.
२. जुन्या संग्राही उपकेंद्रामध्ये फेरफार करणे.
३. प्रवर्तन व परिश्का विभागांना अतिउच्चदाबांच्या तारखंड दुरुस्तीसाठी मदर करणे.

## २.४ उपअभियंता यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : जीजी-६

२.४.१ उपअभियंते विविध अधिक्षक व सहाय्यक अभियंत्याच्या अधिपत्त्याखाली काम करतील. त्यांच्या अधिपत्त्याखालील अधिकारी व कर्मचारी यांची हजेरी प्रमाणित करणे व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार सदर उपअभियंत्यांना असतील.

२.४.२ उपअभियंते त्यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांना योग्य ते तांत्रिक कामातील सहाय्य करतील.

२.४.३ उपअभियंते हे पुढील योजना / कामांची अमंलबजावणी करतील.

१. विविध यांनासाठी पमाणु पद्धतीने स्थान क्रमांक देणे
२. योजनेच्या कामाची सुरक्षात झाल्याची सुचना लेखा विभागास देणे.
३. एखादे काम सुरक्षा करण्याआधी योग्य ते परवाने, साधनसामुग्री व मनुष्यबळांची तजवीज करणे.
४. कामाच्या दैनंदिन कार्यवाहीसाठी योग्य ते नियोजन करणे.
५. एखादे काम करण्यासाठी बाह्य चौकी उभारणे. तसेच मनुष्यबळांची तजवीज, कामाची विभागाणी, योग्य त्या नोंदवण्या ठेवणे, साधनसामुग्रीची नोंद ठेवणे, सुरक्षा रक्षकांची तजवीज करणे इ. कामे सदर उपअभियंते करतील.
६. विभागीय संहितेप्रमाणे वरिष्ठ अधिका-यांनी निर्देशित केलेली इतर कामे करणे.

२.४.४ अतिउच्चदाबाचे तारखंड टाकणे उपविभागातील उपअभियंते हे पुढील योजना / कामांची अमंलबजावणी करतील.

१. तारखंड टाकण्याआधी नियोजित मार्गाचे निरिक्षण करून योग्य त्या मार्गाची आखणी करणे.
२. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वाहतुक पोलिस, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व भारतीय रेल्वे च्या गरजांची पुरता करणे.
३. तारखंड टाकल्यानंतर रस्त्यावरील अतिरिक्त मातीची विल्हेवाट लावणे व टाकाऊ मालाची विल्हेवाट लावणे.

२.४.५ ३३ केव्ही/११० केव्ही संग्राही उपकेंद उपविभागातील उपअभियंते हे पुढील योजना / कामांची अमंलबजावणी करतील.

१. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची व योग्य त्या साधनसामुग्रीची तजवीज करणे.
२. अवजड उपकरणांची वाहतुक करतांना योग्य ती काळजी घेणे.
३. संग्राही उपकेंद्रामध्ये मांडलेल्या उपकरणांची योग्य ती चाचणी करणे व चाचणी अहवाल प्रवर्तन व परिरक्षा विभागाकडे पाठविणे.
४. संग्राही उपकेंद्रात उभारलेल्या उपकरणातील त्रुटी वरिष्ठांच्या नजरेस आणणे.

५. संग्राही उपकेंद्रामध्ये उपकरणांची उभारणी योर्या त्या पृष्ठतीप्रमाणे करतील.

## २.७ दुय्यम अभियंता यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : जीजी-४

२.७.१ दुय्यम अभियंता हे उपअभियंत्याच्या अधिपत्त्याखाली काम करतील व वरिष्ठ अधिका-यांनी नेमून दिलेली कामे करतील. दुय्यम अभियंते पुढील कामेसुध्दा करतील.

१. दैनंदिन कामावर प्रत्यक्ष देखरेख करणे.
२. कार्यरत योजनांचा आढावा घेणे व आवश्यक असलेल्या साधनसामुव्ही व मनुष्यबळाचा अंदाज घेणे.
३. बृ.म.न.पा.व वाहतूक पोलिस याजकडून योर्या ते परवाने मिळविणे.
४. कामगारांना दैनंदिन कामाची विभागणी करणे.
५. विभागीय संहितेप्रमाणे वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितलेली इतर कामे करणे.

## २.८ प्रभारी अभियंता यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : टी-८

२.८.१ प्रभारी अभियंता हे उपअभियंत्याच्या अधिपत्त्याखाली काम करतील व वरिष्ठ अधिका-यांनी नेमून दिलेली कामे करतील. याशिवाय प्रभारी अभियंते पुढील कामेसुध्दा करतील.

१. त्यांच्या अधिपत्त्याखालील कामगारांना दैनंदिन कामाची विभागणी करणे व कामावर प्रत्यक्ष देखदेख करणे.
२. कार्यरत योजनांचा आढावा घेणे व आवश्यक असलेल्या साधनसामुव्ही व मनुष्यबळाचा अंदाज घेणे.
३. बृ.म.न.पा.व वाहतूक पोलिसांनी घातलेल्या नियमांचे कामाच्या ठिकाणी पालन करणे.
४. वेगवेगळ्या कामासाठी कार्यादेश जारी करणे.
५. काम संपल्यानंतर कार्यादेश समाप्त करणे व शिल्लक साधनसामुव्हीची काळजी घेणे.
६. साधनसामुव्हीसाठी मागणीपत्र व जमापत्र लिहीणे.
७. तारखंड सांध्यासाठी आवश्यक ती साधनसामुव्ही उपलब्ध करणे.
८. कामावर हजर असलेल्या कामगारांची नोंद करणे व संबंधित कारकूनकडे हजेरी पाठविणे.

९. चालु असलेल्या कामच्या प्रगतीचा आढावा घेणे व कामगारांवर नियंत्रण ठेवणे.
१०. विभागीय आचारसंहितेप्रमाणे वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितलेली इतर कामे करणे.

## २.७ कारागीर

बांधणी विभागात वेगवेगळ्या उपविभागामध्ये विविध कारीगर / स. कारीगर कार्यरत आहेत.

### तारखंड टाकणे उपविभाग :-

#### २.७.१ वरिष्ठ सांधा जोडारी (टी-६)

अतिउच्चदाबाच्या तारखंडावर सांधा करणा-या कामगार गटाचा तो प्रमुख असेल व उपअभियंत्याच्या अधिपत्त्याखाली काम करेल. सांधा जोडारी च्या अधिपत्त्याखाली काम करणा-या गटामध्ये सांधा जोडारी (श्रेणी टी-५) व ३ नवघाणीचा (श्रेणी टी-१) समावेश असेल व सांधा जोडारी पुढील कामासाठी जबाबदार असेल.

१. तारखंडावर सांधा करण्यासाठी आवश्यक तो खड्डा तयार करणे.
२. त्याच्या अधिपत्त्याखालील कामगारांना कामाची विभागणी करणे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे.
३. कामाच्या ठिकाणी तारखंडावर योग्य असा तंबू लावून कामाची जागा सुरक्षित करणे.
४. काम करतांना खड्डयात पाणी नमा झाल्यास त्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था करणे.

#### २.७.२ सांधा जोडारी (टी-५) :

सांधा जोडारी हा व वरिष्ठ सांधा जोडारी चा सहाय्यक या नात्याने काम करेल. त्याशिवाय आवश्यक असल्यास तो उच्च व निम्न दाबाच्या तारखंडावर सांधा करण्याचे काम करेल.

#### २.७.३ सांधा जोडारी जोडीदार (टी-४) :

सांधा जोडारी जोडीदार हा निम्न दाबाच्या तारखंडावर सांधा करतांना सांधा जोडीदारास सहाय्य करेल.

#### **२.७.४ मुकादम (टी-४) :**

तारखंड टाकण्यासाठी चर खणणारे नवघाणी व इतर कामगारावर नियंत्रण ठेवून त्यांना काम विभागून देण्याचे काम मुकादम करेल. कामगाराच्या उपस्थितीची नोंद करणे, साधनसामुव्याची काळजी घेणे, कामावर वापरत असलेल्या अवजारांची काळजी घेणे इ. कामेसुध्दा मुकादम करेल.

#### **२.७.५ नवघाणी (टी-५) :**

वेगवेगळ्या योजनाअंतर्गत सुरु असलेल्या कामामध्ये अंगमेहनतीचे काम नवघाणी करतील.

११० के.ठी/३३ के.ठी संग्राही उपकेंद्र उपविभाग:-

#### **२.७.६ सांधाता (टी-६) :**

१. धातुसामावर जोडणी करणे, भोके पाडणे, घासणे, कापणे इ. कामे संग्राही उपकेंद्रातील उपकरनांसाठी करेल.
२. स्विचगिअर व रोहित्र यांची उभारणी व देखभाल करण्याचे काम तो करेल.

#### **२.७.७ गवंडी (टी-३) :**

१. संग्राही उपकेंद्रातील उपकरणासाठी पाया रचण्याचे काम तो करेल.
२. वेगवेगळ्या प्रकारचे पाईप जोडण्याचे काम तो करेल.
३. संग्राही उपकेंद्र व इतर कामाच्या ठिकाणी भूपृष्ठाचे पुर्नस्थापन करण्याचे काम तो करेल.

#### **२.७.८ तारतंत्री (टी-४) :**

१. संग्राही उपकेंद्रातील विद्युत जाळ्यांची दुरुस्ती करण्याचे काम तो करेल.
२. कंट्रोल पॅनेल चे नविन व दुरुस्तीचे काम तो प्रभारी अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली करेल.

### **२.८ सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : एजी-८**

**२.८.१** सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी हे विभागीय अभियंता यांच्या अधिपत्त्याखाली काम करतात आणि पर्यवेक्षक आणि इतर लिपीक यांच्याबरोबर समन्वय साधतात. त्यांना त्यांच्या अधिपत्त्याखाली येणा-या

कामगारांची हजेरी प्रमाणित करणे, रजा मंजूर करणे असे अधिकार दिलेले आहेत. ते खालील बांबीकरीता जबाबदार आहेत.

१. त्यांच्या अधिपत्त्याखाली असलेल्या कामगारांचे कामावर घेण्याचे प्रपत्र आणि कामावरुन कमी करण्याचे प्रपत्र, हंगामी कामगारांची नोंद ठेवणे, कपडे नोंद, वार्षिक अहवाल, अ आणि ब श्रेणी अधिका-यांचे हजेरी पट तपासणे, वेगवेगळे भत्ते, विशेष बोनस/अतिकालीन वेतन आणि इम्प्रेस्ट कॅश तपासणे.
२. सर्वसाधारण पत्र व्यवहार करणे.
३. पत्रांचा मसुदा लिहिणे.
४. कामगारांच्या मागणीचे विविध प्रस्ताव पाठविणे.
५. कामगार संघटनेच्या पत्रांना उत्तर देणे.

**२.९ पर्यवेक्षक/ सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी वै यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : एजी-८**

पर्यवेक्षक हे स.प्र.अ. यांच्या अधिपत्त्याखाली काम करतात. लिपिक आणि अभिलेखक यांच्या कामावर देखरेख ठेवतात. दैनंदिन कामात स.प्र.अ. यांना मदत करतात.

**२.१० लिपीक / अभिलेखक यांची कर्तव्ये व जबाबदारी : एजी-७**

लिपीक / अभिलेखक हे पर्यवेक्षक / स.प्र.अ. यांच्या अधिपत्त्याखाली काम करतात. एका पर्यवेक्षकाकडे किती लिपीक / अभिलेखक द्यायचे हे स.प्र.अ. ठरवितात. त्यांची कर्तव्ये खालील प्रमाणे.

**२.१०.१ टेबल - १ : आस्थापना**

१. कामावर आल्याची नोंद, पदावनत केल्याची नोंद, बदलीची नोंद, दुस-या विभागाम पाठविल्याची नोंद, वेगवेगळ्या पदांच्या मागणीची नोंद करण्यासंबंधित विभागीय परिपत्रक बनविणे.
२. हंगामी नवघाणीना कामावर घेण्याचे प्रपत्र, कामावरुन काढून टाकण्याचे प्रपत्र बनविणे, नोंद वहीत आणि सेवाभिलेखात या संदर्भात नोंदी करणे.
३. कपडे आणि पावसाळी साहित्यासंबंधी नोंदी करणे.
४. वार्षिक अहवाल बनविणे.
५. लोकेशन कोडची नोंदवही ठेवणे.
६. वर उल्लेख न केलेले पण आस्थापनेविषयी संबंधीत पर्यवेक्षक आणि स.प्र.अ. यांनी दिलेले कोणतेही काम.
७. ई.एस.आय. विषयीचे काम.

८. पगार न झालेल्यांना ओळखपत्र देणे.
९. वेगवेगळ्या प्रकारची प्रपत्र बनविणे.

#### **२.१०.२ टेबल - २ : सांधा जोडारी**

कार्यदेशक सांधा जोडारी, व. सांधा जोडारी, सांधा जोडारी, सांधा जोडारी जोडीदारी यांची व्यवसाय निवड चाचणी घेणे. पर्यवेक्षकांनी सांगितलेले इतर कोणतेही काम.

#### **२.१०.३ टेबल -३ : आवक जावक**

१. पत्रव्यवहारांची सूचीमध्ये नोंद करणे आणि ती पत्रे त्या त्या अधिका-यांना देणे
२. पत्रव्यवहारांची योग्य माहिती ठेवून दर महिन्याला शिल्लक असलेल्या पत्रव्यवहारांची सूची ठेवणे.
३. निविदा फाईल्स, तपासणी अर्ज आणि मागणी पत्र यांचा तपशिल ठेवणे.
४. सर्व पत्रव्यवहारांची नस्ती ठेवणे आणि त्या संदर्भातील सूची वेगवेगळ्या चौकी आणि संग्राही उपकेंद्रांना पाठविणे.
५. अधिका-यांच्या रेजेची सूची ठेवणे.
६. पर्यवेक्षकांनी सांगितलेले इतर कोणतेही काम.

#### **२.१०.४ टेबल -४ : हजेरीपट लिपिक**

१. सर्व चौकी, संग्राही उपकेंद्रे येथून आलेली हजेरी एकत्र करून त्याची नोंद ठेवणे आणि ती समयपालन विभागाला पाठविणे.
२. कामगारांच्या रजेच्या अर्जाची नोंद ठेवणे.
३. अतिकाळीन कामाच्या वेळेची नोंद ठेवणे आणि त्या संदर्भातील सर्व कामे.
४. पर्यवेक्षकांनी सांगितलेले इतर कोणतेही काम.

#### **२.१०.५ लघुलेखक यांची कर्तव्ये व जबाबदारी :**

१. अधिका-यांनी दिलेली पत्रे टाईप करणे.
२. पत्रव्यवहाराकरिता पाठवावयाच्या पत्राचा मसुदा टाईप करणे.
३. ई-मेल फॅक्स पाठविणे.

४. संगणकासंदर्भातील दुरुस्ती व देखभालीच्या कामाची नोंद ठेवणे.

#### २.१०.६ लिपीक / टंकलेखक यांची कर्तव्ये व जबाबदारी :

१. अधिका-यांनी दिलेली पत्रे टाईप करणे.
२. पत्रव्यवहाराकरिता पाठवावयाच्या पत्राचा मसुदा टाईप करणे.
३. संगणकासंदर्भातील दुरुस्ती व देखभालीच्या कामाची नोंद ठेवणे.
४. पर्यवेक्षकांनी सांगितलेले इतर कोणतेही लिपिकाचे काम.

#### ४.६.३ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्य पद्धती तसेच पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व प्रणाली:

बांधणी विभागातर्फे नागरिक किंवा वीजव्याहक यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असलेली कामे केली जात नाहीत. विभागातर्फे अमंलबजावणी होत असलेल्या विविध प्रकल्पामध्ये तांत्रिक व प्रशासकीय निर्णय संबंधित अधिकारी घेतात. प्रभारी अभियंते कामांचे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करतात व उपअभियंत्यांना कामाचा अहवाल देतात. उपअभियंते, अधिक्षक व सहाय्यक अभियंता यांना अहवाल देवून त्यांच्या सुचना स्विकारतात. सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, अधिक्षक व सहाय्यक अभियंते हे विभागीय अभियंता यांच्या सुचना घेतात व त्यांना अहवाल सादर करतात.

#### ४.७ भांडवली प्रकल्प :

४.७.१ प्रकल्प विभागातर्फे पुढील प्रकल्पासाठी विहीत योजना पाठविल्या जातात.

१. नवीन ११० के.व्ही./३३के.व्ही. संग्राही उपकेंद्रे उभारणे.
२. जुन्या संग्राही उपकेंद्रात अदलाबदल करणे
३. नवे तारखंड टाकणे व जुन्या तारखंडाच्या मार्गात बदल करणे.

४.७.२ विभागीय अभियंता (बांधणी) हे प्रकल्प विभागाकडून आलेल्या योजनांची नोंद ठेवतात. उपमुख्य अभियंता (कार्ये) व मुख्य अभियंता (परिरक्षण) यांच्याशी सल्लामसलत करून साधनसामुद्रीच्या उपलब्धतेप्रमाणे करावयाची कामे विभागीय अभियंता ठरवितात.

## **४.२ प्रकल्पांची अमंलबजावणी :**

४.२.१ प्रकल्प विभागातर्फे उपमुख्य सामुद्री व्यवस्थापकांच्या मदतीने विविध प्रकल्पासाठी लागणा-या साधनसामुद्रीची आगाउ तरतुद केली जाते.

## **४.३ विविध उपकरणे कार्यान्वित करणे :**

४.३.१ विभागीय अभियंत्यांनी आखलेल्या कार्यसुचीप्रमाणे अधिक्षक व सहाय्यक अभियंते, उपअभियंत्याना प्रकल्पांचे वाटप करतात.

४.३.२ उपअभियंते प्रकल्पाच्या अमंलबजावणीसाठी दैनंदिन कार्यसुची तयार करतात. कामाच्या ठिकाणी उपकरणांची वाहतुक करण्यापूर्वी योग्य ती व्यवस्था उपअभियंते करतात.

४.३.३ संग्राही उपकेंद्रामध्ये पुढील उपकरणांची उभारणी केली जाते.

१. ११० एमघीए ते ३३ एमघीए क्षमतेचे उर्जा रोहित्र.
२. ३३ के.घी./११ के.घी. संग्राही केंद्र क्षमतेचे स्विचगिअर्स.
३. भूसंधारणा उपकरणे.
४. कपॅसिटर व स्विंकटर.
५. बैटरी आणि बैटरी चार्जर.
६. कंट्रोल पॅनल/रिले पॅनल.

४.३.४ रोहित्रे व स्विचगिअर्स यांची मांडणी करताना निर्मात्यांनी दिलेल्या सुचनांचा अंमल केला जातो. उपकरणे उभी केल्यानंतर त्यांची कार्यपद्धती तपासली जाते.

## **४.४ पुढील बांबीसाठी तारखंड टाकण्याचे काम केले जाते.**

१. टाटा संग्राही केंद्र व बेर्स्ट ११० के.घी संग्राही उपकेंद्रे येथून परावर्तित होणा-या व ३३ के.घी. संग्राही उपकेंद्रापर्यंत पोहोचणा-या वीजवाहकांसाठी.
२. रोहित्र व स्विचगिअर्स यांना जोडण्यासाठी.

४.४.९ तारखंड टाकण्याचा कार्यक्रम ठरविण्यानंतर उपअभियंता आवश्यक त्या तारखंड व साधनसामुद्रीची तजवीज करतो.

४.४.२ उपअभियंता काम सुरु करण्यापूर्वी ऑन लाईन वाहतूक पोलिस व बृ.मु.म.न.पा. कडून योर्य तो परवाना मिळवितो व इतर सार्वजनिक उपक्रमांना तारखंड टाकण्याच्या कार्यक्रमाची सुचना देतो.

४.४.३ तारखंड टाकतांना रस्ते व हमारतीचे प्रवेश द्वार पार करण्यासाठी पाहृप चा उपयोग केला जातो.

४.४.४ तारखंड टाकण्याचे काम पुढील टप्प्यात केले जाते.

१. चर खणणे.
२. पाहृप टाकणे ;आवश्यक असल्यासदृ
३. खणलेल्या चरातून तारखंड टाकणे.
४. तारखंडावर सुरक्षा कवच टाकणे.
५. खणलेला चर पुन्हा मातीने भरणे.
६. खणलेल्या पृष्ठभागाचे पुर्नस्थापन करणे.

४.५ विभागाची कार्ये पार पाडण्यासाठी ठरविण्यत आलेली मानके :

तारखंड टाकण्याचे काम ऑफिसियल ते एप्रिल या काळात केले जाते तसेच संग्राही उपकेंद्रात उपकरणे मांडण्याचे काम संपूर्ण वर्षभर चालते. विभागातर्फ पार पाडणा-या कामासाठी उपक्रमाच्या संयुक्त कार्याभ्यास समितीने तयार केलेल्या मानकाचा आधार घेतला जातो.

४.६.५ विभागीय कार्ये पार पाडण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सुचना, नियम पुस्तिका आणि अभिलेख.

९.९ विभागीय कामासाठी पुढील नियम लागू आहेत.

दैनंदिन कार्ये पार पाडण्यासाठी खालील दस्तऐवजांचा कर्मचारी वर्गाकडून वापर करण्यात येतो.

१. भारतीय विद्युत कायदा २००३ आणि भारतीय विद्युत नियम १९७६.
२. कारखाना कायदा १९४८ आणि कारखाना नियम १९७०
३. मुबंई औद्योगिक कायदा १९४६.
४. मुबंई औद्योगिक तंटा कायदा.

५. दुकान आणि आस्थापना कायदा.

६. पेमेन्ट ऑफ वेजेस कायदा

७. स्थायी आदेश

८. सेवा नियम

९.२ विभागीय कार्यसंहिता

९.३ चाचणी प्रमाणपत्रे.

उपक्रमाने खरेदी क्लेन्या उपकरणासाठी निर्मात्याकडून चाचणी प्रमाणपत्रे पुरविली जातात व ती संबंधित प्रवर्तन व परिरक्षा विभागाकडे सुरुद केली जातात.

४.ब.६ विभागातील दस्तऐवजाच्या प्रवर्गाचे विवरण :

अ. बांधणी विभागातील नोंद वह्या.

१. आवक

२. जावक

३. रजा

४. अधिकारी व कर्मचारी नोंदवही

ब. बांधणी विभागात ठेवलेली कागदपत्रे.

१. सेवा अभिलेख

२. पत्रव्यवहार

३. प्रकल्प / योजनाचे तपशील व आराखडे

४. सांधा जोडारी या पदाच्या निवड चाचणी संबंधी माहिती.

५. प्रशासकीय

४.ब.७ आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अमंलबजावणी करण्याच्या संबंधात लोकांशी विचार विनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील :

लागू नाही.

४.ब.८ आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटित केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तीची मिळून बनविलेल्या मंडळांचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकालांचे विवरण आणि त्या मंडळांच्या, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकालांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा अशा बैठकीची कार्यवृत्ती जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा याबाबतचे विवरण :

लागू नाही.

४.ब.९ अधिकारी व कर्मचारी यांच्या माहितीचा तपशील :-

| अनु. क्र. | अधिकारी व कर्मचा-यांची नांवे (सर्वश्री) | हुद्दा          | श्रेणी | परिचय क्र. | वेतन पृष्ठ क्र. |
|-----------|---|-----------------|--------|------------|-----------------|
| १         | सं. भा. मुकणे                           | विभागीय अभियंता | ए-३    | २९६९३४     | ९३०/०२          |
| २         | सु. ना. पवार                            | अधिक्षक         | ए-४    | २९४९२९     | ९३०/०२          |
| ३         | डी.आर. चोरमळे                           | सहाय्यक अभियंता | ए-५    | २९४४८९     | ९३०/०२          |
| ४         | ए.एस.अडांगळे                            | सहाय्यक अभियंता | ए-५    | २९३२३७     | ९३०/०२          |
| ५         | ए. ए. थोरात                             | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९४३६३     | ९३०/०२          |
| ६         | ए.ए.एम.एस.खान                           | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९२३६६     | ९३०/०२          |
| ७         | एस.ए.मलहोली                             | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९२७१६     | ९३०/०२          |
| ८         | एस.व्ही.शेळके                           | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९६८२७     | ९३०/०२          |
| ९         | आय.ए.के.मलाडा                           | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९२९३४     | ९३०/०२          |
| १०        | जी. के. तेलंगे                          | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९४३६४     | ९३०/०२          |
| ११        | एस. बी. अतारडे                          | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९७३१३     | ९२७/०९          |
| १२        | एस. जे. कुरील                           | उप. अभियंता     | जी/जी६ | २९४६९७     | ९३०/०२          |
| १३        | के. पी. देशमुख                          | दुय्यम अभियंता  | जी/जी५ | २९३२७२     | ९३०/०२          |
| १४        | जी. पी. पाटकर                           | प्रभारी अभियंता | टी-८   | ४०३८२२     | ९३०/०२          |
| १५        | एस. जी. मुलम                            | प्रभारी अभियंता | टी-८   | २९७०९२     | ९३०/०२          |
| १६        | एम. एस. गुरव                            | प्रभारी अभियंता | टी-८   | २९६१२८     | ९३०/०२          |

|    |                           |                     |       |        |        |
|----|---------------------------|---------------------|-------|--------|--------|
| १६ | एम.डी.बोरवाडकर            | प्रभारी अभियंता     | टी-८  | २७४६२६ | १३०/०२ |
| १८ | ए. टी. मेंगाणे            | प्रभारी अभियंता     | टी-८  | २७६५७९ | १३०/०२ |
| १९ | आर.एस.सिन्हलकर            | प्रभारी अभियंता     | टी-८  | २७४२८२ | १३०/०२ |
| २० | पी. पी. सरकरे             | प्रभारी अभियंता     | टी-८  | २७६२३२ | १४९/०७ |
| २१ | वाय.डी. तेंडुलकर          | प्रभारी अभियंता     | टी-८  | ४७७९६८ | १३०/०२ |
| २२ | एस.पी. करकरे              | प्रभारी अभियंता     | टी-८  | २७४९९७ | १३०/०२ |
| २३ | के. बी. राजपुत            | प्रभारी अभियंता     | टी-८  | २७६८७४ | १३०/०२ |
| २४ | एन. आर.पोतदार             | प्रशासकीयअधिकारी वै | एजी-८ | २७२६०५ | १३०/०२ |
| २५ | श्रीमती. एस. व्ही. खेंगरे | पर्यवेक्षक वै       | एजी-७ | २७५७४३ | १३०/०२ |
| २६ | जी.एम.खान                 | पर्यवेक्षक वै.      | एजी-७ | २७३९४० | १३०/०२ |
| २७ | एस. एल. कचवे              | पर्यवेक्षक वै.      | एजी-७ | २७६२२६ | १३०/०२ |
| २८ | टी. आर. वाझे              | अभिलेखक             | एजी-७ | १९६२२७ | १३०/०२ |
| २९ | एल. एस. दराणे             | अभिलेखक             | एजी-७ | १९६६४३ | १३०/०२ |
| ३० | श्रीमती.एस.एस. जांभळे     | जमादार वै.          | एजी-२ | २८०७४५ | १५/३७  |
| ३१ | एम.व्ही.नारकर             | अभि/पर्यवेक्षक वै.  | एजी-७ | ३२२९८२ | १३०/०२ |
| ३२ | श्रीमती.सी.पी.भाट         | लिपिक/टंकलेखिका     | एजी-७ | २७७७१० | १३०/०२ |
| ३३ | ए.एस. सिंग                | व. सांधा जोडारी     | टी -६ | ४०२६०२ | ४३०/२  |
| ३४ | एम. पी. कारंडे            | सांधा जोडारी        | टी -७ | ४०२७०३ | ४३०/२  |
| ३५ | वाय.जी. लांजेकर           | सांधा जोडारी        | टी -७ | ४०२७०५ | ४३०/२  |
| ३६ | पी. एस. डोगंळे            | सांधा जोडारी        | टी -७ | ४०२७०९ | ४३०/२  |
| ३७ | एस.बी.कांबळे              | जोडारी              | टी-४  | ४०६४७७ | ४३०/२  |
| ३८ | के. आर. शिरसाट            | सहा.वे.जोडारी       | टी-४  | १९३४५० | ४३०/२  |
| ३९ | ए.के. पवार                | जोडारी              | टी -७ | ४०४०५३ | ४३०/२  |
| ४० | एम.बी. पाल                | जोडारी              | टी -७ | ४०४०६९ | ४३०/२  |
| ४१ | जे.एन. नेहरा              | जोडारी              | टी -७ | ४०७५१९ | ४३०/२  |
| ४२ | बी.एम.मुडीगोडा            | जोडारी              | टी -७ | ४०७३१२ | ४३०/२  |
| ४३ | एस.टी.मोरे                | जोडारी              | टी -७ | ००९१९६ | ४३०/२  |
| ४४ | एल. जी. झावरे             | जोडारी              | टी -४ | ४०८६५० | ४३०/२  |
| ४५ | पी. व्ही. तारी            | जोडारी              | टी -७ | ४७७७९७ | ४३०/२  |
| ४६ | बी. एम. बुले              | जोडारी              | टी -७ | ४७२४५७ | ४३०/२  |
| ४७ | एस. वाय. उगले             | जोडारी              | टी -४ | ४७०२३७ | ४३०/२  |

|    |                   |           |          |        |       |
|----|-------------------|-----------|----------|--------|-------|
| ४८ | जी. व्ही. राठोड   | जोडारी    | ट -४     | ४०२८५७ | ४३०/२ |
| ४९ | एस. के. मडके      | मुकादम    | टी -४    | ३२३४६६ | ४३०/२ |
| ५० | बी.एच. मशालकर     | मुकादम    | टी -४    | ४०९२४६ | ४३०/२ |
| ५१ | बी. एम. गुलवे     | मुकादम    | टी -४    | ४०९९३७ | ४३०/२ |
| ५२ | के. व्ही. मोरे    | मुकादम    | टी -३    | ४९०४९० | ४३०/२ |
| ५३ | एस. आर. चव्हाण    | मुकादम    | टी -३    | ४९०५५३ | ४३०/२ |
| ५४ | ए.व्ही. देवळेकर   | तारतंत्री | टी -४    | ४०२२८६ | ४३०/२ |
| ५५ | आर. एच. भांगरे    | गवंडी     | टी -४    | ४०२६७३ | ४३०/२ |
| ५६ | एस. एस. तातले     | गवंडी     | टी -४    | ४०२६७४ | ४३०/२ |
| ५७ | एम.एन.मोतलिंग     | गवंडी     | टी -४    | ४९९२०४ | ४३०/२ |
| ५८ | ए.आर.भंडारे       | चालक      | पी२/जी ३ | ३२६८६७ | ४३०/२ |
| ५९ | व्ही.के.वायगंणकर  | चालक      | पी२/जी ३ | ३२७५५९ | ४३०/२ |
| ६० | पी.जी.भोंडवे      | चालक      | पी२/जी ३ | ३२६८६८ | ४३०/२ |
| ६१ | वाय. एस. पंडित    | चालक      | पी२/जी ३ | ३२७६६३ | ४३०/२ |
| ६२ | एल.सी.सांगडे      | चालक      | पी२/जी ३ | ३२७००२ | ४३०/२ |
| ६३ | एस.एम.कुमरे       | चालक      | पी२/जी ३ | ३२७००३ | ४३०/२ |
| ६४ | ए. के. टुकरूळ     | व. नवघाणी | पी१/टी२  | ४०८१९० | ४३०/२ |
| ६५ | एस.डी. जगताप      | व. नवघाणी | पी१/टी२  | ४०९६१७ | ४३०/२ |
| ६६ | एम. व्ही. मालुंजे | व. नवघाणी | पी१/टी२  | ४९००४४ | ४३०/२ |
| ६७ | आर.एस. साळवी      | व. नवघाणी | पी१/टी२  | ४९००७० | ४३०/२ |
| ६८ | जी.आर. बनसोडे     | व. नवघाणी | पी१/टी२  | ४९०२८५ | ४३०/२ |
| ६९ | एस. एस. शुक्ला    | व. नवघाणी | पी१/टी२  | ४९९२०६ | ४३०/२ |
| ७० | आर. पी. पांचाळ    | व. नवघाणी | पी१/टी२  | ४९९२३४ | ४३०/२ |
| ७१ | ए. बी. जगदाळे     | नवघाणी    | पी१/टी१  | ४९९४५० | ४३०/२ |
| ७२ | एन.एस.राणे        | नवघाणी    | पी१/टी१  | ४९९५२८ | ४३०/२ |
| ७३ | टी.ए. खान         | नवघाणी    | पी१/टी१  | ४९९५३९ | ४३०/२ |
| ७४ | एस. बी. भोसले     | नवघाणी    | पी१/टी१  | ४९९५४७ | ४३०/२ |
| ७५ | डी. के. थोरात     | नवघाणी    | पी१/टी१  | ४९९५५४ | ४३०/२ |
| ७६ | एन. आर. रणदिवे    | नवघाणी    | पी१/टी१  | ४९९५५७ | ४३०/२ |

|     |                   |        |         |        |       |
|-----|-------------------|--------|---------|--------|-------|
| ७७  | आर. एस. जाधव      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७४७८ | ४३०/२ |
| ७८  | एस.एच.ए. सरयद     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७४६६ | ४३०/२ |
| ७९  | पी. एस. सावंत     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७४७६ | ४३०/२ |
| ८०  | द्वी. पी. नेमन    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७४९७ | ४३०/२ |
| ८१  | एस. पी. गावडे     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७४२४ | ४३०/२ |
| ८२  | एम.एल.जी. कादर    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७६४५ | ४३०/२ |
| ८३  | एस. बी. कदम       | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७१४ | ४३०/२ |
| ८४  | एस. बी. सावंत     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७१६ | ४३०/२ |
| ८५  | एस. एल. भोगले     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७१९ | ४३०/२ |
| ८६  | आर. डी. जाधव      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७३२ | ४३०/२ |
| ८७  | एस. बी. पवार      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७४७ | ४३०/२ |
| ८८  | एच.बी. खान        | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७४९ | ४३०/२ |
| ८९  | एस. सी. पाटील     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७५१ | ४३०/२ |
| ९०  | एम.एस.गायकवाड     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७५३ | ४३०/२ |
| ९१  | एस.आर. ए. हुसेन   | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७६३ | ४३०/२ |
| ९२  | आर. पी. मिश्रा    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७६४ | ४३०/२ |
| ९३  | एम. आर. शर्मा     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७९६७ | ४३०/२ |
| ९४  | ए. एस. मुजावर     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७९८७ | ४३०/२ |
| ९५  | एस. के. पानसरे    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२०६८ | ४३०/२ |
| ९६  | एन.जी.गायकवाड     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३९८५ | ४३०/२ |
| ९७  | आय. एम. पटेल      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२३६९ | ४३०/२ |
| ९८  | एम.वाय.जी.कादर    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२४३७ | ४३०/२ |
| ९९  | आर. जी. गवई       | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२४४४ | ४३०/२ |
| १०० | आर. टी. उबाले     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२४७४ | ४३०/२ |
| १०१ | द्वी. डी. मरोळीकर | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७७५२ | ४३०/२ |
| १०२ | एस.बी.सिंग        | नवघाणी | पी९/टी९ | ४७७९८० | ४३०/२ |
| १०३ | जी. आर. ढोले      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२७२४ | ४३०/२ |
| १०४ | एस.एस. तांबेवाघ   | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२७२९ | ४३०/२ |
| १०५ | वाय. बी. भिडे     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२७५५ | ४३०/२ |
| १०६ | आर.एन.खांडेकर     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२६१० | ४३०/२ |
| १०७ | वाय. डी. दुधाणे   | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२८६६ | ४३०/२ |
| १०८ | आर. जी. मिस्त्री  | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२८८२ | ४३०/२ |
| १०९ | डी.द्वी.साबले     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२६४४ | ४३०/२ |
| ११० | एन. बी. फाटक      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२८९६ | ४३०/२ |
| १११ | एस.एस.तांबे       | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२६५८ | ४३०/२ |

|     |                       |        |         |        |       |
|-----|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
| ૧૧૨ | આર.જી.<br>અરુણદુધિયાર | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૦૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૧૩ | યુ. કે. સોનાવળે       | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૦૨ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૧૪ | પી. એસ. સાલુંખે       | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૦૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૧૭ | એસ. કે. કાંબળે        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૦૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૧૬ | ચી.એમ. મહામુનકર       | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૦૯ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૧૭ | એ.ડી. કાંબળી          | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૧૧ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૧૮ | એ.એસ. હેલગાંવકર       | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૧૩ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૧૯ | એસ. ચી. યેવલે         | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૩૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૦ | એ. એમ. કદમ            | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૩૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૧ | એમ.વાય. બનસોડે        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૪૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૨ | પી. પી. પરબ           | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૪૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૩ | એમ. એ. ગોસાવી         | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૫૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૪ | પી. જે. દુપટે         | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૫૧ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૭ | એમ. એસ. કાંબળે        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૫૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૬ | એસ.જી.જાથવ            | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૬૬૩ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૭ | કે. બી. પટેલ          | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૬૧ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૮ | એમ. એસ. નિકમ          | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૬૨ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૨૯ | સી. ડી. મિશ્રા        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૬૩ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૦ | એ. એસ. કેદારે         | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૬૫ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૧ | ડિ. યુ. મુલ્યા        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૬૮ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૨ | એસ. બી. સેજવલ         | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૬૯ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૩ | ડી.પી.સકપાળ           | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૮૯૯ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૪ | એસ. પી. કોકાટે        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૭૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૫ | એ. એ. જાથવ            | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૭૯ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૬ | એમ. એમ. પવાર          | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૮૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૭ | એ. પી. શેટ્ટે         | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૮૨ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૮ | ટી. ઈ. નાર્વેકર       | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૮૩ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૩૯ | એસ. એસ. ચચ્છાણ        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૮૪ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૪૦ | એલ.એચ.એ.એ. શેખ        | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૮૫ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૪૧ | એમ. ટી. ઢાલે          | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૮૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૪૨ | ચી. પી. તાવડે         | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૮૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૪૩ | એસ. એલ. લાલ           | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૯૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૪૪ | એસ. એલ. મોરે          | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૯૧ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૪૫ | બી.બી.ઘાડીગાંવકર      | નવઘાણી | પી૧/ટી૧ | ૪૧૨૯૯૨ | ૪૩૦/૨ |

|     |                    |        |         |        |       |
|-----|--------------------|--------|---------|--------|-------|
| १४६ | बी.वाय.चंद्रमोरे   | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२८९७ | ४३०/२ |
| १४७ | झेड. ऐ. शेख        | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९२९९४ | ४३०/२ |
| १४८ | बी. एम. यादव       | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०२३ | ४३०/२ |
| १४९ | एम.ए.क्युसिटिकी    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०३७ | ४३०/२ |
| १५० | एस. डी. शिंदे      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०५० | ४३०/२ |
| १५१ | ए.ए. खान           | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०५७ | ४३०/२ |
| १५२ | एस.एस. वायदंडे     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०५२ | ४३०/२ |
| १५३ | एस. ई. कांबळे      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०६६ | ४३०/२ |
| १५४ | एन. व्ही. भारूडे   | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०७५ | ४३०/२ |
| १५५ | जी. व्ही. भोगले    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०७६ | ४३०/२ |
| १५६ | एस. डी. डांगळे     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०७८ | ४३०/२ |
| १५७ | एस. झेड. जाधव      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०८१ | ४३०/२ |
| १५८ | एस. टी. राठोड      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०८३ | ४३०/२ |
| १५९ | जे. एस. जानकर      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०८९ | ४३०/२ |
| १६० | ओ. बी. भोरे        | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३०९१ | ४३०/२ |
| १६१ | एस.जी. जावकर       | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१०४ | ४३०/२ |
| १६२ | बी. एन. जगताप      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१६६ | ४३०/२ |
| १६३ | आर.जी. गोसावी      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१९८ | ४३०/२ |
| १६४ | आर. सी. धुमाळ      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१३९ | ४३०/२ |
| १६५ | एस. टी. इडेकर      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१४२ | ४३०/२ |
| १६६ | जे.वाय. पावसकर     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१४६ | ४३०/२ |
| १६७ | एन. डी. पारकर      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१४७ | ४३०/२ |
| १६८ | ए. एम. सोलकर       | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१४८ | ४३०/२ |
| १६९ | ए. एम. मोदी        | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१४९ | ४३०/२ |
| १७० | आर.व्ही. सुर्यवंशी | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१५० | ४३०/२ |
| १७१ | जी. एस. पाटील      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१५१ | ४३०/२ |
| १७२ | एस. एम. शिंदे      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१५२ | ४३०/२ |
| १७३ | एम. एस. हरम        | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१५३ | ४३०/२ |
| १७४ | आर. टी. मेतर       | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१५४ | ४३०/२ |
| १७५ | एस.एस.सोनावणे      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१५८ | ४३०/२ |
| १७६ | एम. ई. देहरकर      | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१६८ | ४३०/२ |
| १७७ | एन.व्ही.कवठनकर     | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१७९ | ४३०/२ |
| १७८ | एस. आर. उपाध्ये    | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१९३ | ४३०/२ |
| १७९ | पी. ए. यादव        | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३१९४ | ४३०/२ |
| १८० | एस.आर.विश्वकर्मा   | नवघाणी | पी९/टी९ | ४९३३७६ | ४३०/२ |

|     |                |        |         |        |       |
|-----|----------------|--------|---------|--------|-------|
| ૧૮૧ | એસ. આર. યાદવ   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૪૨૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૨ | એન.જી. કારભારી | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૪૩૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૩ | એન. એન. બોકડ   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૪૯૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૪ | એ. એસ. વળે     | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૪૭૩ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૫ | એસ. એસ. ભાંગ   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૪૭૪ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૬ | યુ. આર. ભાંગરે | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૪૭૮ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૭ | યુ. એસ. ખરાત   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૪૯૪ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૮ | એ. ડી. વાયભાસે | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૬૨૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૮૯ | બી.બી.ચવ્હાણ   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૦૩ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૦ | એન.એચ.કાણી     | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૨૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૧ | એસ.એમ.કાંબળે   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૨૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૨ | એન.પી.સિંગ     | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૨૮ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૩ | એમ.એસ.શેખ      | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૩૨ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૪ | એસ.બી.માને     | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૦૩૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૫ | એ. વ્હી. ઘોલપ  | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૩૭૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૬ | આર.વ્હી.યાદવ   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૭૯૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૭ | ટી.એસ.કર્ડક    | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૩૨૮ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૮ | પી.ડી.પાટીલ    | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૬૭ | ૪૩૦/૨ |
| ૧૯૯ | વ્હી.બી.પાટીલ  | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૬૪ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૦ | એસ.એમ.દેલતાડે  | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૪૪ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૧ | વ્હી.એમ.સાંગલે | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૪૪ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૨ | આર.પી.કાંબળે   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૩૫ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૩ | વ્હી.જી.ખૈરે   | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૭૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૪ | આય.એ.જી.એચશેખ  | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૦૧૨ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૫ | એમ.જે.સાવંત    | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૮૯ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૬ | એ.એસ.કોરી      | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૦૧૧ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૭ | એસ.વ્હી.સૂર્ય  | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૨૯૩૦ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૮ | એસ.એસ.માને     | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૨૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૦૯ | આર.કે.ગોલે     | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૩૪ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૧૦ | એ.ડી.કુમ્ભી    | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૩૬ | ૪૩૦/૨ |
| ૨૧૧ | આર.આર.પસુલ્લા  | નવઘાણી | પીજ/ટીજ | ૪૭૩૭૩૮ | ૪૩૦/૨ |

४.ब.१० आपल्या प्रत्येक अधिका-यास व कर्मचारी वर्गास मिळणारे मासिक वेतन, तसेच प्राधिकरणाच्या विनिमयामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पद्धती :-

लागू नाही

४.ब.११ सर्व योजनांचा तपशील प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल :

प्रकल्प विभागाद्वारे योजनांचे तपशिल बनविले जातात.

४.ब.१२ अर्थसहाय्य कार्यकमाच्या अमंलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि असा कार्यकमांच्या लाभाधिका-याचा तपशील :

अर्थसंकल्पात लागू नाही.

योजनांचा तपशील लागू नाही.

४.ब.१३ ज्या व्यक्तीनी सवलती, परवाने आणि प्राधिकरण पत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तिंचा तपशील :

लागू नाही.

४.ब.१४ सुट मिळणा-यांची यादी व परवानाधारक संस्था :

लागू नाही.

४.ब.१५ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यास उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशील.

अधिकारी आणि कर्मचा-यांचा हजेरीपट आणि त्यांना देण्यात येणारे भत्ते यासंदर्भातील माहिती इलेक्ट्रॉनिक रचनापात उपलब्ध आहे.

४.ब.१६ माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणा-या सुविधांचा तपशील, तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजांच्या वेळाचा तपशील :

नागरिक किंवा जनतेशी थेट संपर्क नाही.

४.ब.१७ जनमाहिती अधिकारी-यांची नांवे, पदनामे आणि तपशील :

जनमाहिती अधिकारी - श्री. सं. भा. मुकणे  
विभागीय अभियंता

अपिलीय अधिकारी - श्री. एस. जी. ढिसले  
उपमुख्य अभियंता (कार्ये)

४.ब.१८ विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती : ---

,,,,,,,,,,